इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011—आश्विन 8, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. एफ.ए-3-21-2003-1-पांच-(73).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क के साथ पठित मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक कर अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान संदेय कर के संबंध में, उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान करती है:—

सारणी

व्यापारियों का वर्ग	धारा	कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है.
(1)	(2)	(3)	(4)
वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी	धारा 26 की उपधारा (4)	1-10-2003 से 31-3-2006 तक	इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसे व्यापारी को उपलब्ध होगी जो अब तक भुगतान न किए गए खाण्डसारी पर कर का भुगतान 31 दिसम्बर, 2011 तक करता है एवं यह छूट ऐसे कर के विलंबित भुगतान पर संदेय ब्याज और/या शास्ति तक सीमित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र. एफ. ए-3-21-2003-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-21-2003-1-पांच-(73), दिनांक 30 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th September 2011

No. F-A-3-21-2003-1-V (73).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 17 of the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act), the State Government, hereby, exempts the class of dealers specified in column (1) of the Table below, from the operation of the provisions of the Commercial Tax Act specified in column (2), in respect of tax payable during the period specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Table.:—

TABLE

Class of dealers (1)	Section (2)	Period (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
Dealers registered under the Commercial Tax Act	Sub-Section (4) of Section 26	From 1-10-2003 to 31-3-2006	The exemption under this notification shall be available to the dealer who makes payment of tax, hitherto not paid, on Khandsari upto 31st December 2011 and the exemption shall be limited to the interest and/or penalty payable on delayed payment of such tax.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.